

ग्रामीण विकास मंत्रालय
मांग संख्या 82
पेयजल आपूर्ति विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		(करोड़ रुपए)									
राजस्व पूंजी जोड़		7560.00	1.74	7561.74	7460.00	1.82	7461.82	8500.00	1.90	8501.90	
		
		7560.00	1.74	7561.74	7460.00	1.82	7461.82	8500.00	1.90	8501.90	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	1.74	1.74	...	1.82	1.82	...	1.90	1.90	
ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई											
2. त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	3601	3802.00	...	3802.00	3687.18	...	3687.18	4250.00	...	4250.00	
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	
	2215	2047.00	...	2047.00	2061.82	...	2061.82	2320.00	...	2320.00	
	जोड़	5850.00	...	5850.00	5750.00	...	5750.00	6570.00	...	6570.00	
3. ग्रामीण सफाई	2215	954.00	...	954.00	954.00	...	954.00	1080.00	...	1080.00	
जोड़-ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई											
		6804.00	...	6804.00	6704.00	...	6704.00	7650.00	...	7650.00	
4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	756.00	...	756.00	756.00	...	756.00	850.00	...	850.00	
कुल जोड़		7560.00	1.74	7561.74	7460.00	1.82	7461.82	8500.00	1.90	8501.90	
ग. आयोजना परिव्यय											
		विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. जलापूर्ति और सफाई	22215	6804.00	...	6804.00	6704.00	...	6704.00	7650.00	...	7650.00	
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	756.00	...	756.00	756.00	...	756.00	850.00	...	850.00	
	जोड़	7560.00	...	7560.00	7460.00	...	7460.00	8500.00	...	8500.00	

1. इसमें पेयजल आपूर्ति विभाग के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में देश की सभी ग्रामीण बसावटों के लिए पेयजल का प्रावधान निर्धारित किया गया है। इस प्रयोजनार्थ सरकार कुछ वर्षों से ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के लिए वार्षिक केंद्रीय परिव्यय को उत्तरोत्तर बढ़ा रही है। ग्रामीण पेयजल, भारत निर्माण के घटकों में से एक है, जिसे भारत निर्माण के ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत चार वर्षों की अवधि - 2005-06 से 2008-09 तक, में ग्रामीण अवसंरचना निर्माण की एक योजना माना गया है। भारत निर्माण के ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत इसमें व्यापक कार्य योजना, के माध्यम से कवर न की गई बसावटों को कवर करने और रिसाव एवं जल गुणवत्ता की समस्या को दूर करने की भी व्यवस्था की गई है।

जल गुणवत्ता के स्थायित्व तथा निगरानी को बढ़ावा देने के प्रयासों से स्थायित्व और गुणवत्ता के दोनों मुद्दों पर समाधान किया जा रहा है। इसके बारे में और अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों को वर्षा जल एकत्रीकरण के

विभिन्न मॉडलों को दर्शाने वाले विवरण दिये गये हैं। समुदाय आधारित जल गुणवत्ता निगरानी और जांच प्रणालियों को संस्थागत बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण जल गुणवत्ता निगरानी और जांच कार्यक्रम बना लिया गया है तथा फरवरी, 2006 में लागू किया गया है।

3. सरकार ग्रामीण लोगों को सफाई सुविधा उपलब्ध कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों को अत्यधिक प्राथमिकता देती रही है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान 30 राज्यों/संघ शासित राज्यों को शामिल करते हुए 570 जिलों में शुरू किया गया है। ग्यारवीं योजना के अंत तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ सभी जिलों की परियोजनाओं को शामिल करने और 2010 तक स्वच्छता की पहुंच से बाहर लोगों की संख्या आधी करके मिलेनियम विकास लक्ष्य हासिल करने की परिकल्पना की गई है।

4. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं में एकमुश्त राशि का प्रावधान किया गया है।